

सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 6, 1977/ज्यैष्ठ 16, 1899

No. 231]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 6, 1977/JYAISTHA 16, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June 1977

S.O. 381(E)/IDRA/29B/76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby cancels the following notifications, namely:—

- (1) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. SRO 492, dated the 3rd February, 1954.
- (2) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. SRO 1554, dated the 15th May, 1954.
- (3) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 1211/29B/IDRA/58/2, dated the 21st June, 1958.
- (4) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O 607/IDRA/29B/2, dated the 18th March, 1955

- (5) Notification of the Government of India in the late Ministry of Heavy Industries No. S.R.O. 1314/IDRA/29B/1/57, dated the 27th March, 1957.
- (6) Notification of the Government of India in the late Department of Heavy Industries No. S.R.O. 3837/IDRA/29B/16/57, dated the 28th November, 1957.
- (7) Notification of the Government of India in the late Ministry of Heavy Industries No. S.R.O. 1216/IDRA/29B/4/57, dated the 10th April, 1957.
- (8) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Heavy Industries) No. S.R.O. 1469/IDRA/29B/5/57, dated the 30th April, 1957.
- (9) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 9/IDRA/29B/5/58, dated the 22nd December, 1958.
- (10) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 2125/IDRA/29B/6/57, dated the 21st June, 1957.
- (11) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Heavy Industries) No. S.R.O. 2217/IDRA/29B/8/57, dated the 2nd July, 1957.
- (12) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 2498-IDRA/29B/10/57, dated the 29th July, 1957.
- (13) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.R.O. 3538/IDRA/29B/13/57, dated the 29th October, 1957.
- (14) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 1396/IDRA/29B/3/58, dated the 19th July, 1958.
- (15) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 2629/IDRA/29B/4/58, dated the 12th December, 1958.
- (16) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 1090/IDRA/29B/2/58, dated the 7th June, 1958.
- (17) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Heavy Industries) No. S.R.O. 2981/IDRA/29B/12/57, dated the 17th September, 1957.
- (18) Notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry S.O. 133/IDRA/29B/1/59, dated the 10th January, 1959.

2 In pursuance of sub-section (2) of section 29B of the said Act, the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification in the official Gazette as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking engaged in the manufacture of an article relatable to a scheduled industry and covered by any of the aforesaid notifications shall carry on the business of such undertaking, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and in the case of the State Governments except under and in accordance with the previous permission of the Central Government

[No 12(73)/LP/76]

D. K. SAXENA, Jt Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1977

का०आ० 381 (अ), आई डी आर ए/29 खी० 76.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् —

- (1) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 492, तारीख 3 फरवरी, 1954।
- (2) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1554, तारीख 15 मई, 1954।
- (3) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1211/29ख, आई डी आर ए/58/2, तारीख 21 जून, 1958।
- (4) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 607, आई डी आर ए/29ख/2, तारीख 18 मार्च, 1955।
- (5) भारत सरकार के भूतपूर्व भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1314/आई डी आर ए/29 ख/1/57, तारीख 27 मार्च, 1957।
- (6) भारत सरकार के भूतपूर्व भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 3837/आई डी आर ए/29ख/16/57, तारीख 28 नवम्बर, 1957।
- (7) भारत सरकार के भूतपूर्व भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1216/आई डी आर ए/29 ख/4/57, तारीख 10 अप्रैल, 1957।
- (8) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग (भारी उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 1469/आई डी आर ए/29ख/5/57, तारीख 30 अप्रैल, 1957।
- (9) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 9/आई डी आर ए/29 ख/5/58, तारीख 22 दिसम्बर, 1958।
- (10) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2125/आई डी आर ए/29ख/6/57, तारीख 21 जून, 1957।
- (11) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2217/आई डी आर ए/29ख/8/57, तारीख 2 जुलाई, 1957।
- (12) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2498-आई डी आर ए/29 ख/10/57, तारीख 29 जुलाई, 1957।

- (13) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 3538/आई डी आर ए/29ख/13/57, तारीख 29 अक्टूबर, 1957।
- (14) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1396/आई डी आर ए/29ख/3/58 तारीख, 19 जुलाई, 1958।
- (15) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2629/आई डी आर ए/29ख/4/58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958।
- (16) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1090/आई डी आर ए/29ख/2/58, तारीख 7 जून, 1958।
- (17) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2981/आई डी आर ए/29ख/12/57, तारीख 17 सितम्बर, 1957।
- (18) भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 133/आई डी आर ए/29ख/1/59, तारीख 10 जनवरी, 1959।

2 केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 29ख की उपधारा (2) के अनुसरण में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ. मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके पश्चात् किसी अनुसूचित और पूर्वोक्त अधिसूचनाओं में से किसी के अन्तर्गत आने वाले उद्योग में सम्बन्धित किसी वस्तु के विनिर्माण में रत किसी औद्योगिक उपक्रम का कोई स्वामी, ऐसे उपक्रम का कारखाना नहीं चलाएगा, सिवाय तब के जब कि वह ऐसा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसरण में और राज्य सरकारों की दशा में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसरण में कर रहा हो।

[सं० 12(73)/एल पी/76)]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977